राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(257) ग्राविवि/ग्रुप–5/जीकेएन/प्रशिक्षण/2015–16 जयपुर, दि. 15 दिसम्बर, 2016

–:: बैठक कार्यवाही विवरण ::–

ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2016 के प्रारूप पर प्राप्त सुझावों की समीक्षा एवं अनुमोदन/निर्णय के क्रम में प्रमुख शासन सचिव महोदय के अध्यक्षता में विभागीय प्रशासनिक अनुमोदन समिति की बैठक उनके कक्ष में दिनांक 01.12.2016 को आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारियो का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है :–

बैठक में में ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2016 के प्रारूप पर प्राप्त सुझाव एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तार चर्चा की गई । दौरान चर्चा के मुख्य बिन्दु एवं लिये गये निर्णय/निर्देश निम्नानुसार है

1. **ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2016 के सम्बन्ध में दिनांक 18 अक्टूबर, 2016 को इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित कार्यशाला में प्राप्त सुझावों पर विस्तृत विचार विमर्श कर ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2016 के प्रारूप में निम्नानुसार संशोधन करने के निर्देश दिये गये।**

क्र. सं.	संशोधित जीकेएन का बिन्दु संख्या	पृष्ठ संख्या	वर्तमान प्रावधान	कार्यशाला में प्राप्त सुझाव अनुसार संशोधित प्रावधान	प्रशासनिक अनुमोदन समिति में लिये गये निर्णय/सहमति
1.	4.1.2	4	भूमि स्वामित्व तय करने एवं कार्य को विवाद से बचाने के दायित्व प्रशासनिक स्वीकृतिकर्ता अधिकारी का होगा।	प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया के स्थान पर वित्तीय स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया के साथ जोडा जाना प्रस्तावित।	प्राप्त सुझाव अनुसार प्रस्तावित संशोधन पर सहमत।
2.	4.1.3	4	जिन कार्यों के प्रारम्भिक अनुमान इकाई लागत के आधार पर तैयार किये जा सकते हैं (यथा मॉडल अनुमान, प्रति कि.मी.सड़क आदि) ऐसे मामलों में कनिष्ठ अभियंता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा प्राथमिक इकाई लागत आदि के आधार पर प्रारम्भिक अनुमान तैयार किया जाकर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया जावेगा। जिन कार्यों की इकाई लागत निर्धारित नहीं हैं, उनके लिए समान प्रकृति के कार्यों पर गत वर्ष में हुई व्यय राशि के आधार पर प्रारम्भिक लागत अनुमान बना कर प्रेषित किया जावेगा।	Should be deleted	सहमत, विलोपित किया जावें।

3.	4.1.4	4	प्रशासनिक स्वीकृतिकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रस्ताव में कार्य का पूरा नाम, स्थान, ग्राम, ग्राम पंचायत का नाम एवं राशि का मद, वार्षिक/पूरक कार्य योजना में है, कार्य प्राथमिकता क्रम से ही प्रस्तावित किया गया है तथा अनुमत श्रेणी का है।	प्रशासनिक स्वीकृतिकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रस्ताव में कार्य का पूरा नाम, स्थान, ग्राम, ग्राम पंचायत का नाम एवं राशि का मद, वार्षिक/पूरक कार्य योजना में है, **यथासम्भव** प्राथमिकता क्रम से ही प्रस्तावित किया गया है तथा अनुमत श्रेणी का है।	प्राप्त सुझाव अनुसार प्रस्तावित संशोधन पर सहमत। ।
4.	4.1	4	नवीन शर्त प्रस्तावित	भूमि विवाद की स्थिति में कार्य की स्वीकृति में अतिरिक्त समय–सीमा दी जानी चाहिए।	प्राप्त सुझाव अनुसार प्रस्तावित संशोधन पर असहमत।
5.	4.2	4	***प्रशासनिक स्वीकृति*** *:– बिन्दू संख्या 4.1 के अनुरूप उपलब्ध राशि की 150 प्रतिशत तक प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा सकेगी।*	***प्रशासनिक स्वीकृति*** *:– बिन्दू संख्या 4.1 के अनुरूप उपलब्ध राशि की* ***कार्ययोजना*** *150 प्रतिशत तक प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा सकेगी।*	प्राप्त सुझाव अनुसार प्रस्तावित संशोधन पर सहमत।
6.	4.5.7	7	कार्यों के लिए तकनीकी स्वीकृति के अनुसार राशि उपलब्ध नहीं होने एवं ऐसे कार्यों को टुकडों में सम्पादित करने से सम्पादित कार्य की उपयोगिता नहीं होने की स्थिति में कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की जावेगी एवं इन कार्यों की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति को निरस्त कर दिया जावे एवं इस निरस्ती आदेश की प्रति प्रस्तावित कार्यकारी संस्था, तकनीकी स्वीकृति जारी करने वाले अभियन्ता एवं अभिशंषाकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।	*कार्यों की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति टुकडों में जारी नहीं की जावेगी लेकिन राशि की उपलब्धता के आधार पर कार्य की उपलब्ध राशि अनुसार वित्तीय स्वीकृति टुकडों में जारी की जा सकेगी।*	प्राप्त सुझाव अनुसार प्रस्तावित संशोधन पर सहमत।
7.	5.2.2	8	वसूली निम्नानुसार की जावेगी– कार्यों के कार्य मूल्यांकन में अन्तर आने के कारण आधिक्य व्यय की वसूली सरपंच, सचिव से 1/3 एवं मूल्यांकन कर्ता एक तिहाई वसूली जावेगी। ठेके की स्थिति में सम्पूर्ण राशि से एक तिहाई मूल्यांकन कर्ता वसूली जावेगी।	वसूली निम्नानुसार की जावेगी – कार्यों के जॉच/मूल्यांकन अनुसार आधिक्य व्यय की वसूली कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत के लिए **सरपंच, सचिव से एवं मूल्यांकन कर्ता/सत्यापित कर्ता अधिकारियों से अनुपातिक रूप से वसूली**	प्राप्त सुझाव अनुसार प्रस्तावित संशोधन पर सहमत।

				करने बाबत् कार्य के उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी करने/कार्य सत्यापन के क्रम में सरपंच, सचिव, मूल्यांकनकर्ता अधिकारी (कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता), लेखाकर्मी/अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी (विकास अधिकारी, पं.स.) आदि प्रमाणित कर्ताओं/ हस्ताक्षरकर्ता से अनुपातिक बराबर–बराबर रूप से वसूली **की जावेगी।**	
8	7	10	शिड्यूल ऑफ पॉवर्स	Should be deleted	विभागीय परिपत्र दिनांक 17.09.2014 द्वारा आवश्यक प्रावधान पूर्व में ही लागू है। अतः विलोपित किया जावें।
9	11.2.2	22	**व्यक्तिगत लाभ के कार्य –** व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में संबंधित लाभार्थी के नाम भूमि स्वामित्व होना अनिवार्य होगा। यह दस्तावेज स्वयं लाभार्थी द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे।	**व्यक्तिगत लाभ के कार्य** – व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में संबंधित लाभार्थी के नाम भूमि स्वामित्व होना **notinoal share** अनिवार्य होगा। यह दस्तावेज स्वयं लाभार्थी द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे।	प्राप्त सुझाव अनुसार प्रस्तावित संशोधन पर सहमत।
10	11.3.4	22	सामान्यतः नदी, नाला, तालाब के भराव क्षेत्र में, रेलवे लाईन, सडक की सीमा आदि में कोई भी निर्माण कार्य स्वीकृत एवं निर्मित नहीं किया जावेगा परन्तु सार्वजनिक शौचालय, नालीयां, नाला, ट्यूबवैल, बोरिंग आदि बनाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय स्तर पर आपत्तियां मांगी जा कर ग्राम पंचायत के कॉरम में यथोचित निर्णय लिया जा कर शिथिलन किया जा सकेगा उपरोक्त समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत के रिकार्ड में लिपिबद्ध होना अनिवार्य है ।	**टंकी, टांका व हैडपम्प भी जोडा जाना है।**	प्राप्त सुझाव अनुसार प्रस्तावित संशोधन पर सहमत।

11	12.2.2	23	**निर्माण कार्य निष्पादन में रूची नहीं लेने पर की जाने वाली कार्यवाही** – पंचायती राज संस्थाएं कार्यकारी संस्था होने की स्थिति में स्वीकृत कार्यों के निष्पादन नहीं करने, के दोषी के विरूद्ध लापरवाही हेतु पंचायती राज अधिनियम की धारा 38 के तहत कार्यवाही विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तावित की जावेगी।	Should be deleted	प्राप्त सुझाव अनुसार प्रस्तावित संशोधन पर सहमत।
12	13.1	25	**अनुमत प्रतिशत** – किसी भी कार्यकारी संस्था द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों के तकमीनों में 2 प्रतिशत राशि कन्टींजेंसी मद में प्रावधान करते हुए जोडी जावेगी। कन्टींजेंसी व्यय विस्तृत तकमीने का भाग होगा, इसका प्रावधान General Abstract of cost में किया जावेगा।	**अनुमत प्रतिशत** – किसी भी कार्यकारी संस्था द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों के तकमीनों में **3 प्रतिशत** राशि कन्टींजेंसी मद में प्रावधान करते हुए जोडी जावेगी। कन्टींजेंसी व्यय विस्तृत तकमीने का भाग होगा, इसका प्रावधान General Abstract of cost में किया जावेगा।	वर्तमान में 2 प्रतिशत ही रखा जावें। प्रस्तावित कार्य की प्रावधित 2 प्रतिशत राशि व्यय होने के Justification के बाद आवश्यक होने पर 3 प्रतिशत कन्टिजेन्सी राशि के प्रस्ताव पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किये जावें। तब तक यथावत प्रावधान रखा जावें।
13	17.1.20	31	कार्य की निविदाएं जारी करना	**RTTP Act के अनुसार ग्राम पंचायत स्तरीय/पंचायत समिति स्तरीय क्रय समिति कार्यवाही करेगी। ग्राम पंचायत अपने स्तर पर निविदाए RTTP Act & Rules में यथा विहित प्रकिया अनुसार निविदा जारी कर पंचायत समिति को प्रति उपलब्ध कराएगी।**	प्राप्त सुझाव अनुसार प्रस्तावित संशोधन पर सहमत।
14	17.3 (स)	33	अनियमितताओं का विवरण	अनियमितताओं का विवरण कम संख्या 1 में जिम्मेदारी का स्तर ग्राम सेवक, सरपंच के साथ क्रय समिति के सदस्यों को भी उत्तरदायी बनाया जावें। कम संख्या 3 में लेखाकर्मि/अधिकारी को भी उत्तरदायी किया जावें।	प्राप्त सुझाव अनुसार प्रस्तावित संशोधन पर सहमत।

15	20.1	40	**वार्षिक कार्य योजना**	पंचायती राज नियम 1996 के नियम 174 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत के व्यवस्थित विकास हेतु एक **ग्राम पंचायत स्तर पर कियान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं की समग्र** वार्षिक कार्य योजना ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की जावेगी एवं इसका अनुमोदन ग्राम सभा/पं. स. साधारण सभा/जिला परिषद् साधारण सभा द्वारा किया जावेगा। सांसद/विधायक की अभिशंषा पर स्वीकृत होने वाले कार्यों को एवं योजना के दिशा–निर्देशानुसार विशेष प्रावधानों को छोडकर विभाग द्वारा वित्त पोषित किसी भी योजना (मनरेगा सहित) के निर्माण कार्य में वार्षिक कार्य योजना में से **यथासम्भव** प्राथमिकता के अनुसार संपादित किये जावेंगे। वार्षिक कार्य योजना पंचायत के क्षेत्राधिकार में स्थित ग्रामवार तैयार कर ग्राम पंचायतवार संकलित होगी। पंचायत की एक ही वार्षिक कार्य योजना होगी।	प्राप्त सुझाव अनुसार प्रस्तावित संशोधन पर सहमत।
16	21.9.2	45	**गांव की आन्तरिक सडक – गांव की आन्तरिक सडको की केरीज विडथ (चौडाई) 3.75 मीटर तक होगी।**	**गांव की आन्तरिक सडक – गांव की आन्तरिक सडको की अधिकतम केरीज विडथ (चौडाई) दोनो तरफ की नाली सहित 6 मीटर से अधिक नहीं होगी।**	**असहमत। आन्तरिक सडको की अधिकतम carriage width (चौडाई) 3.75 मीटर तक रखी जावें। मौके पर उपलब्ध अतिरिक्त चौडाई में सडक निर्माण की आवश्यकता होने पर ग्रेवल सडक निर्मित की जा सकेगी। इसके उपरान्त नाली निर्माण अलग से करावाया जावे ।**

17	24.6	51	**कार्य सम्पादन प्रकिया** – इस संबंध में आंशिक विवरण बिन्दु संख्या 28 में अंकित है। कार्य सम्पादन प्रकिया बाबत विस्तृत विवरण ग्रामीण कार्य निर्देशिका भाग 2 में दिया जावेगा।	Should be deleted	प्राप्त सुझाव अनुसार प्रस्तावित संशोधन पर सहमत।
18	29.1.3	59	कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत होने की स्थिति में निर्माण कार्य की गुणवत्ता खराब होने, कार्य समय पर स्वीकृत ना होने, स्वीकृत कार्य समय पर सम्पादित न होने, कार्य सम्पादन में शिथिलता, अनियमितता, लापरवाई पाई जाने, खराब गुणवत्ता आदि पर सरपंच एवं ग्राम सेवक का यह तर्क स्वीकार्य नहीं होगा कि किसी के दबाववश, अज्ञानता, ना समझ/कम पढा लिखा होने के कारण त्रुटि हुई है।	**कार्यकारी संस्था निर्माण कार्य की गुणवत्ता खराब होने, कार्य समय पर स्वीकृत ना होने, स्वीकृत कार्य समय पर सम्पादित न होने, कार्य सम्पादन में शिथिलता, अनियमितता, लापरवाई पाई जाने, खराब गुणवत्ता आदि के लिए पूर्ण उत्तरदायी होगी।**	प्राप्त सुझाव अनुसार प्रस्तावित संशोधन पर सहमत।
19	29.15	63	**सूचना बोर्ड – कार्य पूर्ण होने पर** :– स्थाई प्रकृति के कार्य यथा विभिन्न प्रकार के भवन, जिनकी लागत एक लाख रूपये से अधिक है, पर 24 X 18 इंच की मारबल पट्टिका का प्रदर्श बोर्ड 4.5 फीट उचाई पर सीमेन्ट मसाला 1:4 में लगाया जावेगा। मार्बल पट्टिका गिरे नहीं, इस हेतु नीचे व उपर एल टाईप की किलिप भी लगाई जावे एवं पत्थर के चारो तरफ 2 ईच की चौडाई की बोर्डर बनाई जावे। सडक जैसे कार्यों में सार्वजनिक स्थान अथवा आवश्यक होने पर एक 9 ईंच मोटी ईट का निर्माण कर 36 X 24 इंच का प्रदर्श बोर्ड मारबल पट्टिका 4.5 फीट उचाई पर सीमेन्ट मसाला 1:3 में लगाया जावेगा। प्रारम्भ बिन्दु संख्या 29.15 अनुसार बनाए गयी दीवार पर भी यह पट्टिका लगाई जा सकेगी।	**सूचना बोर्ड – कार्य पूर्ण होने पर** :– स्थाई प्रकृति के कार्य यथा विभिन्न प्रकार के भवन, जिनकी लागत एक लाख रूपये से अधिक है, **पर सूचना बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाना होगा।**	प्राप्त सुझाव अनुसार प्रस्तावित संशोधन पर सहमत।

20	29.16	63	**खाली कट्टों का निस्तारण :–** किसी भी कार्यकारी संस्था द्वारा मस्टररोल व्यवस्था पर सम्पादित कराये गये कार्य में उपयोग में लिये गये सीमेन्ट के खाली कट्टों के विरूद्ध 1 रूपये प्रति कट्टा की दर से राशि ग्राम पंचायत की निजी आय में जमा कराई जावेगी। सीमेन्ट कट्टो की संख्या का निर्धारण सामग्री खपत मात्रा के अनुसार किया जावेगा। विकास अधिकारी द्वारा खाली कट्टो की राशि जमा कराने बाबत लागत का निर्धारण प्रत्येक वर्ष किया जावेगा।	Should be deleted	असहमत। जीएफ एण्ड एआर के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जावें।
21	29.17.5	63	**वीडियोग्राफी**	Should be deleted	प्राप्त सुझाव अनुसार प्रस्तावित संशोधन पर सहमत।
22	65.1.1	118	वार्षिक/पूरक कार्य योजना के क्रम को तोड कर कार्य स्वीकृत करना।	Should be deleted	प्राप्त सुझाव अनुसार प्रस्तावित संशोधन पर सहमत।

2. **ग्राम पंचायत स्तर की निविदा की कार्यवाही ग्राम पंचायत स्तरीय क्रय समिति द्वारा ही सम्पादित कराने बाबत्।**

ग्राम पंचायत स्तरीय क्रय समिति को RTPP Act के अधीन वर्णित प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने को अधिकृत है। विभागीय स्तर से ग्राम पंचायत स्तरीय क्रय समिति को सुदृढ किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

3. **ग्राम पंचायत स्तर की निविदाओं में प्राप्त टेण्डर प्रीमियम के क्रम में 10 प्रतिशत अधिक तक के टेण्डर प्रीमीयम अनुमोदन की कार्यवाही के अधिकार ग्राम पंचातय स्तरीय क्रय समिति को दिये जाने बाबत्।**

RTPP Act के अधीन वर्णित प्रावधानों के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे।

4. **ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध राशि केन्द्रीय और राज्य वित्त आयोग की राशि के सभी निर्माण कार्यो के मूल्यांकन के बाद समायोजन का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया है। समायोजन आदेश, सरपंच, लेखाकार और ग्राम सेवक के हस्ताक्षर से जारी कराने बाबत्।**

इस सम्बन्ध में केरल एव मध्यप्रदेश राज्य में ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध राशि केन्द्रीय और राज्य वित्त आयोग की राशि के सभी निर्माण कार्यो के मूल्यांकन के बाद समायोजन के लिये प्रचलित प्रकिया का अध्ययन करवाया जावें।

5. **थर्ड पार्टी निरीक्षण के साथ–साथ पंचायत समिति मुख्यालय पर सहायक अभियंता की निगरानी में पीपीपी मॉडल पर प्रयोगशाला स्थापना।**

जिला परिषद कोटा द्वारा जिला एवं प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर एक एक क्वालिटी कन्ट्रोल लेब की स्थापना की गई है। इसी के अनुसार अन्य जिलों में भी प्रयोगशाला स्थापित करवाये जाने के निर्देश दिये गये। प्रयोगशाला में आवश्यक परीक्षण एवं प्रमाणीकरण का कार्य मुल्यांकन कर्ता अधिकारी से एक उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा किया जावेंगा।

6. **वित्त विभाग के निर्देशानुसार टेण्डर सम्बधी समस्त प्रकिया भविष्य में ई–टेंण्डरिंग से कराये जाने की व्यवस्था लागू कराने हेतु प्रशिक्षण।**

कोई चर्चा नहीं है।

7. **वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक स्वीकृत आवासों में से सभी निर्मित/निर्माणाधीन आवासों की जीओं टेंगिग कराने के सम्बन्ध में।**

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण के तहत उपलब्ध प्रशासनिक मद से निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण द्वारा आईजीपीआरएस के सहयोग से वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक सभी आवासीय योजनाओं अन्तर्गत स्वीकृत आवासों में से सभी निर्मित/निर्माणाधीन आवासों की सामाजिक अंकेक्षण के साथ–साथ जीओं टेंगिग कराकर आवाससॉफ्ट पर अपलोड कराने का निर्णय लिया गया।

8. **विभागीय आदेश कमांक प. 7 (185) ग्रावि/अनु–8/2008 दिनांक 17.08.2016 के द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत जिला बाडमेर में निर्माण कराये गये टांको का निरीक्षण कर टांको की लागत, क्षमता, डिजाईन एवं साईज के कम में गठित कमेटी की संलग्न रिपोर्ट के कम में टांकों की मॉडल डिजाईन व लागत का निर्धारण पर चर्चा।**

एक रूपता बनाये रखने की दृष्टि में निजी/व्यक्तिगत् कृषकों/व्यक्तियों के लिये 30000 लीटर क्षमता के टांका निर्माण कार्य ही करवाये जावें। इस हेतु टांके की डिजाईन व माप दण्ड निर्धारित कर आवश्यक दिशा निर्देश जिलों को जारी किये जावें। राजकीय भवन/कार्यालय व सामुदायिक उपयोग हेतु तकनीकी आकलन एवं आवश्यकता के अनुसार 30000 लीटर से अधिक क्षमता के टांको का निर्माण करवाया जा सकता है।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गाधी नरेगा, ग्रामीण विकास ।
6. निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू–सरक्षण विभाग।
7. परियोजना निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, महात्मा गांधी नरेगा।
8. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास।
9. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस),महात्मा गॉधी नरेगा, ग्रामीण विकास विभाग।
10. अधीक्षण अभियन्ता, पंचायती राज।
11. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/ महात्मा गांधी नरेगा/पंचायती राज/ जल ग्रहण विकास एवं भू–सरक्षण विभाग।
12. श्री बीएस पंवार, संयुक्त निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू–सरक्षण विभाग।
13. श्री विजय चौधरी, अधीक्षण अभियन्ता, जल ग्रहण विकास एवं भू–सरक्षण विभाग।
14. श्री अरविंद सक्सेना, अधिशाषी अभियन्ता, महात्मा गांधी नरेगा।
15. श्री राजेश बंसल, अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद् जयपुर।
16. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)